न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **02/2018** अपील (रसद)

गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड गोगुन्दा जरिये मैनेजर महावीर सिंह बाघेला पिता श्री इन्द्रसिंह राजपूत, कार्यालय राजसंघ परिसर प्रतापनगर, उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 22 राज. खाद्य एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 निर्णय जिला रसद अधिकारी उदयपुर

उपस्थित— 1. श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री विजयसिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी

निर्णय

दिनांक—30.05.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट क्रय विक्रय सहकारी समिति संस्था के रूप में कार्यरत हैं। जो रजिस्टर्ड संस्था हैं। अपीलान्ट के नाम जिला रसद अधिकारी द्वारा लाईसेंस जारी किया हुआ है जिसके तहत गोगुन्दा क्षेत्र की उचित मुल्य की दुकानो पर समस्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराता हैं। जिसका रेकर्ड संधारण किया जाता हैं। दिनांक 30.09.16 को भारतीय खाद्य निगम उदयपुर से जो गेहूँ का आवंटन हुआ जो ट्रक नम्बर आर जे 32 जी 1797 में कट्टे 180 वजन 89.80 क्विंटल, आर जे 27—1जी 5556 में कट्टे 340 वजन 166.74 क्विंटल, आर जे 27 जीबी 0345 में कट्टे 340 वजन 170.34 क्विंटल, आर जे 1 जी आर 9036 में कट्टे 440 वजन

221.85 क्विंटल थे। गेहूँ भरकर एफसीआई से गेट पास के साथ में रवाना हुए। उसमें से श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटड गोगुन्दा का उदयपुर में जनजाती विकास भवन प्रतापनगर उदयपुर स्थित गोदाम पर 4 ट्रके खाली हो गयी। परन्तु पॉचवी ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 0345 में तकनीकि खराबी हो जाने से वह समय पर अपीलान्ट के प्रतापनगर उदयपुर स्थित गोदाम पर खाली नहीं हो सकी। इसी दौरान जिला रसद अधिकारी व पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा अपीलान्ट के गोदाम को सिल्ड कर दिया। उसी समय गोदाम पर ट्रक नम्बर आर जे 27 जीबी 0345 रिपेयर होकर गोदाम पर खाली होने पहुॅची। परन्तु गोदाम सिल्ड होने से उक्त ट्रक खाली नहीं हो सकी। इसकी सूचना जिला रसद अधिकारी उदयपुर को दी गई। परन्तु पुलिस वालो ने व जिला रसद विभाग की टीम ने अपीलान्ट के गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया परन्तु ट्रक नम्बर आर जे 27 जीबी 0345 में रखे गेहूँ की गणना नहीं की एवं गोदाम में गेहूँ की कमी बताकर अपीलान्ट का लाईसेन्स दिनांक 07.10.16 को अग्रीम आदेश तक के लिये निलम्बित कर दिया। निलम्बन समय पुर्ण होने के उपरान्त भी लाईसेन्स बहाल नहीं किया गया हैं। गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में रखे गेहूँ की गणना मौके पर नहीं किये जाने से डी.एस.ओ. साहब पुलिस थाना प्रतापनगर को अवगत कराया गया। परन्तु आज तक उन गेहूँ की गणना नहीं कर स्टॉक में शामिल नहीं माना। इसलिये अपीलान्ट का लाईसेन्स दिनांक 07.10.16 को अग्रीम आदेश तक के लिये निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन काल पुर्ण होने के बाद लाईसेन्स को बहाल करना आवश्यक होता है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा अपना जवाब दस्तावेज सबुत आदि प्रस्तुत कर दिये गये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 07.10.16 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का लाईसेन्स बहाल करते हुए वितरण व्यवस्था चालु करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील मेमो के साथ में एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 28.11.16 से दिनांक 12.03.18 की अवधि को कण्डोन किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी की ओर से विद्ववान पेरोकार सरकार उपस्थित हुए जिनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट सहकारी संस्था होकर रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसायटी अधिनियम के तहत उदयपुर से रजिस्टर्ड हैं। जिसे जिला रसद अधिकारी उदयपुर द्वारा लाईसेंस जारी किया हुआ है जिसके तहत गोगुन्दा क्षेत्र की उचित मुल्य की दुकानो पर समस्त खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है जिसका पूर्ण हिसाब संधारित किया जाता रहा हैं। अपीलान्ट के नाम से दिनांक 30.09.16 को भारतीय खाद्य निगम उदयपुर से गेहूॅ का आवंटन हुआ जिसको अपीलान्ट ने ट्रक नम्बर आर जे 32 जी 1797, आर जे 27 1जी 5556, आर जे 27 जीबी 0345, आर जे 1 जीआर 9036 में भरकर एफ.सी.आई. गेट से गेटपास के साथ रवाना कर गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड गोगुन्दा का उदयपुर में जनजाती विकास भवन प्रतापनगर उदयपुर स्थित गोदाम पर चार ट्रके खाली हो गयी परन्तु पॉचवी ट्रक नम्बर आर जे 27 जीबी 0345 में तकनीकि खराबी हो जाने से वह समय पर गोदाम में नहीं पहूॅच सका। इसी दौरान जिला रसद अधिकारी उदयपुर व पुलिस थाना प्रतापनगर द्वारा अपीलान्ट के गोदाम को सील्ड कर दिया। उसी समय ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 0345 रिपेयर होकर गोदाम पर खाली होने पहूॅची। परन्तु गोदाम सील्ड होने से खाली नहीं हो सकी। इसकी सूचना जिला

रसद अधिकारी उदयपुर को दी गई। गोदाम के सत्यापन पर ट्रक आर जे 27 जीबी 0345 में रखे गेहूँ की गणना नहीं की गई एवं गोदाम में गेहूँ की कमी बताकर लाईसेंस दिनांक 07.10.16 को अग्रीम आदेश तक के लिये निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन काल 90 दिन का समाप्त हो चुका हैं। उसके उपरान्त भी कोई अन्तिम निर्णय पारीत नहीं किया गया हैं। नाही लाईसेंस बहाल किया गया हैं। जबकि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में समस्त जवाब दस्तावेज सबुत आदि प्रस्तुत किये हैं। अतः लाईसेंस को बहाल किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय को प्रदान किया जावें।

विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 30.09.16 को वृत्ताधिकारी वल्लभनगर को मुखबीर से विश्वसनीय सूचना मिली की गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति गोगुन्दा द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनुदानित गेहूँ का अनुचित लाभ लेने, उन्हें भारतीय खाद्य निगम उदयपुर से उठाकर गोगुन्दा क्षेत्र में ना ले जाकर खुले बाजार में कालाबाजारी कर मुनाफा कमाने की नियत से अन्य ट्रक में लादकर डाईवर्जन किया जा रहा हैं। जिस पर पुलिस द्वारा गोदाम को सील्ड किया जाकर दिनांक 02.10.16 को पुलिस एवं रसद विभाग की संयुक्त टीम द्वारा समिति के सभी पदाधिकारीयो एवं व्यवस्थापक श्री हरिसिंह झाला अध्यक्ष श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति गोगुन्दा व व्यवस्थापक श्री राजकुमार खाण्ड्या की उपस्थिति में गोदाम में भण्डारीत गेहूँ का भौतिक सत्यापन किया गया। स्टॉक के मुकाबले भौतिक सत्यापन पर 104.67 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया। कम पाये गये गेहूँ के बारे में संयुक्त जॉच दल द्वारा संस्था के उपस्थित प्रतिनिधियों एवं अन्य कार्मिको ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया व गेहूँ के किसी अन्यत्र स्थान पर भण्डारण किये जाने से भी स्पष्ट रूप से इन्कार किया। पुलिस उप अधीक्षक अ.जा./ अ.ज.जा. अत्याचार प्रकोष्ठ उदयपुर द्वारा दी गई तहरीर दिनांक 02.10.16 में भी फैक्ट्री लक्ष्मणपुरा के पास ट्रक संख्या आर जे 27 जीए 9738 में भरा

सरकारी गेहूँ श्री गणेश क्रय विक्रय सहकारी समिति गोगुन्दा के उदयपुर स्थित गोदाम से भरकर ले जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण समिति द्वारा गेहूँ की आवक एवं वितरण का सही रेकार्ड संधारण किया हुआ नहीं पाया गया। दिनांक 29.09.2016 को भारतीय खाद्य निगम उदयपुर से जारी गेट पास संख्या 9850/18 एवं दिनाक 30.09.16 को जारी गेट पास संख्या 9850/07 द्वारा उठाव किये गये गेहूँ की मात्रा एवं कट्टो की संख्या का इन्द्राज भारतीय खाद्य निगम से आमद रजिस्टर में उक्त संस्था द्वारा नहीं किया जाना पाया। इसी प्रकार संस्था द्वारा संधारित चालान बुक अनुसार चालान संख्या 4897 से 4903 तक कुल 7 संस्था के पास उपलब्ध प्रतियों की कार्बन कॉपियों में अंकित तारीखो में नीले बॉल पेन से बदलवा किया जाना पाया गया तथा संस्था का कोई भी रेकार्ड जिला रसद कार्यालय उदयपुर से प्रमाणित करवाया जाना नहीं पाया गया। उपर्युक्त अनुसार संस्था द्वारा संस्था के रेकार्ड में फेरबदल करना पाया गया। इस प्रकार संस्था द्वारा अनुदानित गेहूँ का दुरूपयोग करते हुए मुनाफाखोरी की गरज से गेहूँ को निर्धारित उचित मुल्य की दुकानो पर नहीं ले जाकर डायवर्जन का कृत्य किया जाना पाया गया। संस्था के विरूद्ध इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गई हैं एवं की गई अनियमितताओ के संबंध में उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाकर वैकल्पिक व्यवस्था क्रय विक्रय सहकारी समिति झाड़ोल को प्रदान की गई हैं। संस्था की पत्रावली विचाराधीन हैं। संस्था के जवाब एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर गुणावगुण पर उचित निर्णय कर लिया जायेगा। प्राधिकार पत्र अग्रीम आदेश तक के लिये निलम्बित किया गया है ना कि 90 दिन के लिये किया गया हैं। अतः अपीलार्थी की अपील को इसी स्तर पर खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो कथन किये गये है उन

कथनो में 4 ट्रके गोदाम पर पहूॅच जाना बताया गया है एवं पॉचवी ट्रक में तकनीकि खराबी हो जाने की बात कही गई हैं। अपील में जो ट्रक नम्बर बताये गये है उनका गहनता से जॉच की गई तो ट्रक नम्बर आर जे 27 जी बी 0345 कट्टे 340 वजन 170.34 क्विंटल को गोदाम में खाली होना बताया गया हैं। उसी ट्रक को पुनः 340 कट्टे 170.34 क्विंटल का तकनीकि खराबी होना बताया गया है जो उसके कथनो में विरोधाभास जाहीर हो रहा हैं। साथही भौतिक सत्यापन पर गोदाम में गेहूॅ की मात्रा 104.67 क्विंटल कम होना संयुक्त टीम द्वारा बताया गया है जबकि इस ट्रक में रखे गेहूॅ का वजन 170.34 क्विंटल है जो भी मिलान नहीं हो रहा हैं। साथही अपील में यह कहा जा रहा है कि इस ट्रक में रखे गेहूॅ की गणना जॉच दल द्वारा नहीं की गई। जबकी मौके पर समिति के पदाधिकारीयो की उपस्थिति में गोदाम का भौतिक सत्यापन पर जब गेहूॅ कम मिला तो कम के संबंध में अन्य कही स्थान पर भण्डारण या रखे जाने बाबत पुछा गया तो उपस्थित व्यवस्थापको व अन्य कर्मचारीयो द्वारा अनभिज्ञता जाहीर की गई एवं स्पष्ट रूप से इन्कार किया। वर्तमान में प्राधिकार पत्र के निलम्बन एवं अपीलार्थी संस्था द्वारा की गई वितरण व्यवस्था में की गई अनियमितताओ के संबंध में पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलीय आदेश में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया हैं एवं अपीलार्थी को नोटिस देकर की गई अनियमितताओ के संबंध में जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हैं। जहॉ पर अपने साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रभावी पैरोकारी करते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत करें। इस स्तर पर न्यायालय से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जाकर निर्णय की प्रति मय तलबिदा पत्रावली जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी की पत्रावली का निर्णय गुणावगुण पर समयावधि में प्रकरण का निस्तारण करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना निर्णय के दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर